पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1631 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014 रायपुर, दिनांकः 17/10/2014

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 14.10.2014 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवन्त सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगाशे	–	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
10.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
11.	डॉ. रश्मि मिंज	–	सदस्य
12.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी सम्बद्धता** दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	**B.A. -II -** Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, History	**60**	2014–15	**निरीक्षण तिथि :– 25.09.2014** शासकीय नवीन महाविद्यालय फिंगेश्वर में बी.ए.-II- 60 सीट, बी.एस–सी. -Biology पार्ट–2 60 सीट एवं बी.काम. पार्ट–2 के लिए 60 सीट सत्र 2014–15 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु वि.वि. के आदेश क्रमांक 807/अका./2014 रायपुर दिनांक 23.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में 25.09.2014 को समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन निम्नानुसार है। 1. महाविद्यालय में एक स्थायी प्राचार्य, एक सहायक प्राध्यापक रसायन नियमित है। 09 सहायक प्राध्यापकों के स्थायी पदों के विरूद्ध 09 अतिथि प्राध्यापक सभी	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
		B.Sc. -II - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	**60**			
		B.Com.-II - (Compulsory Subject)	**60**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					विषयों में नियुक्त हैं। अशैक्षणिक पद में 03 सहायक एवं 02 भृत्य नियुक्त है। 03 तकनीशियन के पद विज्ञापित है। 2. महाविद्यालय शा.उ.मा. विद्यालय में संचालित है विद्यालय के द्वारा एक नया भवन जिसमें 06 कक्षा है जो महाविद्यालय को पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। 3. ग्रंथागार में 3500 पुस्तकें संबंधित विषयों के हैं। वाणिज्य विषय में अतिरिक्त पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण पर्याप्त है। 06 कम्प्यूटर भी है खेल सामाग्री उपलब्ध है। प्रयोगशाला सुव्यवस्थित की जानी है। 5. प्राचार्य ने सूचित किया कि भूमि/भवन की कार्यवाही शासन स्तर पर जारी है।	
2	स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	**बी.एस–सी. पार्ट–III** आ.पा.–हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र	60	2014–15	<u>निरीक्षण तिथि : 11.09.2014</u> आज दिनांक 11.09.2014 को स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना में बी. एस–सी. भाग–3 (बायो) तथा बी.काम. भाग–3 की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया। वर्तमान में रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र विषय में एक–एक अतिथि व्याख्याता एवं वाणिज्य विषय में एक अतिथि व्याख्याता तथा 2 जनभागीदारी व्याख्याता कार्यरत हैं। अधोसंरचना पर्याप्त है। और अधीक प्रयोगशाला में उपकरण, गैस तथा प्रयोगशाला सामग्री की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार कुछ अतिरिक्त विषयवार पुस्तकें क्रय करना उचित होगा। अतः बी. एस.सी. भाग–3 में 60 एवं बी. काम. पार्ट–III में 50 सीटों की सम्बद्धता दी जा सकती है।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
		बी.काम. – III आ.पा. एवं अनिवार्य विषय	50			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद	B.Com. -III Compulsory Subjects, Env.Sc. B.A. -III Hindi, English, History, Geography, Political Sc. Env. Sc. B.Sc.-III Hindi, English, Botany, Zoology, Chemistry, Env. Sc.	60 60 60	2014–15	**निरीक्षण तिथि :– 05.09.2014** 1. महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला में संचालित है, नए भवन के लिए टेन्डर हो चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। 2. महाविद्यालय में दो नियमित प्राध्यापक हैं एवं आठ अतिथि व्याख्याता कार्यरत् हैं। 3. ग्रंथालय में विभिन्न विषयों के 2 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। 4. अंततः विज्ञान, एवं भूगोल में प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला–दुर्ग	B.A. -III Hindi, English, Sociology , Economics, Geography B.Sc.-III Hindi, English, Botany, Zoology, Chemistry B.Com. -III All Compulsory Subjects	120 60 100	2014–15	**निरीक्षण तिथि :– 22.09.2014** 1. बी.ए. – III के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं। बी.एस–सी. भाग– III के लिये प्रयोशाला में उपकरणों की आवश्यकता होगी पर्याप्त उपकरण नहीं है। बी.काम. तीन के लिये (60) छात्रों के लायक ही कक्ष है। 2. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य एवं पांच नियमित सहा. प्राध्यापक है। अतिथि व्याख्याताओं की भी नियुक्ति है। महाविद्यालय शाला भवन में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माणाधीन है। पुस्तकालय में पुस्तकें छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा	**B.Com. -II** **B.A. -II** (F.C.-Hindi & English, Economics, Sociology, Political Sc.) **B.Sc. -II** (F.C.-Hindi & English, Physics, Chemistry, Maths)	**60** **60** **60**	2013–14	**निरीक्षण तिथि : 29.09.2014** दिनांक 29.09.2014 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा का B.Com-II-60 seats, B.A.-II 60 seats तथा B.Sc. II 60 seats की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय शास. कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में संचालित हो रहा है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					छात्रों की संख्या 237 है। वर्तमान में वाणिज्य में एक नियमित शिक्षक तथा एक अतिथि शिक्षक, रसायन में एक अतिथि, भौतिकी – एक अतिथि शिक्षक तथा गणित में एक समाज शास्त्र में एक–एक अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं। B.A. में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में एक–एक अतिथि शिक्षक हैं। पुस्तकालय में पस्तकें है। प्रयोगशाला में सामग्री तथा उपकरण है। भविष्य में कुछ पुस्तकें तथा प्रयोगशाला उपकरण, गैस आदि की व्यवस्था करना उचित होगा 6 Class Room है। स्वयं का भवन तथा नियमित शिक्षकों का चयन आवश्यक है। सम्बद्धता हेतु अग्रेषित।	

03. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. एफ 17–1/2014/38–1 दिनांक 25.09.2014 के आदेशानुसार "शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम" नवीन नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।

04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. एफ 17–1/2014/38–1 दिनांक 25.09.2014 के आदेशानुसार "शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद" नवीन नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना –

1. महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर
2. श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर
3. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर

निर्णय : **1. महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर**
2. श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर
3. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर

उपरोक्त 03 महाविद्यालयों की सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

06. Regulation 149 के संशोधन के प्रस्ताव विचार करना।

निर्णय : विनियम क्र. 149 – "Inclusion of Grade & Credit Points in Mark sheet" जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्यापन वाले विषयों पर ही सत्र 2013–14 से प्रभावी की गई है। सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2014–15 से प्रभावी किये जाने के लिए संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :–

Present Provision	Proposed Provision
1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.	1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD **and affiliated colleges** under the provision of the Ordinance 170.

07. हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश को मान्य किया गया।

08. सत्र 2014–15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
2	डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
3	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डौंडी, जिला–बालोद (छ.ग.)
4	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला–रायपुर (छ.ग.)
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
6	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
7	नवीन शास. कालेज बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
8	देव संस्कृति महाविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, सेक्टर–6, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
9	इंदिरा गांधी शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, दुर्ग
10	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला–दुर्ग
11	राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014–15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय :–

1. Revised Regulation 149-B -L.L.M.- (Inclusion of Grade and Credit Points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the University under the Ordinance-60) के अनुमोदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल से परीक्षण पश्चात् प्राप्त अनुशंसा, मान्य किया गया।

2. संचालनालय, उच्च शिक्षा से अभी तक स्नातक पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस संबंध में डॉ. किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा से हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार, स्नातक स्तर के बी.ए., बी.काम., बी.एस–सी., बी.सी.ए. तथा बी.एच.एस–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के समस्त पाठ्यक्रम, सत्र 2014–15 के लिए पूर्व वर्ष (सत्र 2013–14) के भाँति यथावत् रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

3. कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 9811/अका./2006 दिनांक 30/11/2006 के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक 14/11/2006 में लिए गये निर्णयानुसार परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि वह अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है तो कुलपति को सम्बोधन करते हुए पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है यह व्यवस्था वर्तमान में लागू है। इस प्रणाली के वर्तमान प्रावधान, प्रस्तावित प्रावधान एवं औचित्य निम्नानुसार है –

विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान	औचित्य
1. यदि कोई छात्र/छात्रा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् भी असन्तुष्ट है तो वह पुनः पुनर्मूल्यांकन हेतु कुलपति जी को सम्बोधित कर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा छात्र/छात्रा का उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों (पैनल) द्वारा लिया जावेगा । 2. पुनः पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक की गणना पुनर्मूल्यांकन नियम अध्यादेश 6 कंडिका 26/3 के तहत वर्तमान नियमानुसार की जावेगी । 3. पुनः पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त प्राप्तांक को गणना हेतु आधार अंक मूल प्राप्तांक को ही माना जाता है न कि पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त प्राप्तांक 4. पुनः पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अंक की गणना मूल प्राप्तांक से की जाती है इस स्थिति में नियमानुसार यदि अंक बढ़ने या घटने की स्थिति प्राप्त प्राप्तांक के मूल्यांकन को अन्तिम माना जावेगा ।	1. पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुर्नमूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा । 2. पुनः पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक अन्तिम प्राप्तांक होगा।	पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) की गणना के संबंध में अध्यादेश में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण कार्यपरिषद् द्वारा गणना की प्रक्रिया अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26/3 के अनुसार निर्धारित किया गया है। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे परिक्षार्थी जिनके 1 या 2 अंक वृद्धि होता है, परिणाम में शामिल नहीं किया जाता है। चूंकि पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) परीक्षार्थियों के लिए अंतिम व्यवस्था है। अतः परीक्षार्थियों के हित में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर प्रस्तावित प्रावधान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि प्रभावित परीक्षार्थियों को लाभ मिल सके।

पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) के लिए प्रस्तावित प्रावधान का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1632/अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014**

रायपुर, दिनांकः 17/**10/2014**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)